राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप--2) विभाग

कमांक प. 7 (2) राज/2/2003 जयपुर, दिनांक: 12.9.05

समस्त संभागीय आयुक्त,
राजस्थान ।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल अजमेर।

समस्त जिला कलेक्टर (भू.अ.)
राजस्थान।

विषय :– एल.आर.सी.प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले पटवारियों आदि को देय वित्तीय लाभों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है, लैण्ड रिकार्ड कम्प्यूटराईजेशन राष्ट्रीय स्तर की अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है तथा इसका लाभ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप में ग्रामीण /शहरी जनता को मिल रहा है तथा कालान्तर में भी वृहद रुप में यह लाभ इन्हें मिलता रहेगा। इस प्रोजेक्ट की वृहद स्तर पर तथा सतत रुप में कियान्विति करते रहने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये राज्य सरकार के स्तर पर यह आवश्यक समझा गया कि विभागीय भू राजस्व पटवारियों को कम्प्यूटर का अपेक्षित प्रशिक्षण देकर तथा इन्हें दक्ष किया जाकर बतौर रिर्सोस परसन इनका पदास्थापन तहसील स्तर पर कियाशील "अपना खाता केन्द्र" जिला स्तर पर जिला सूचना केन्द्र (डी.आई.ओ.) के कार्यालय में राजस्व मण्डल एवं राज्य स्तर पर एन.आई.सी. के कार्यालय में किया जावे। राजस्व विभाग , राजस्व मण्डल, जिला कलेक्टर कार्यालयों/डी.आई.ओ. एवं एन.आई.सी. तथा आर.आर.टी. आई. एवं राज्य की समस्त पटवार शालाओं में इस बाबत अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित करते हुये इन्हें एल.आर.सी. सम्बन्धी कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाकर इन्हें बतौर रिर्सोस परसन उक्त जगहों पर पदास्थापित किया गया। उक्त जगहों पर इन रिर्सोस परसन द्वारा अपनी सेवायें प्रभावी रुप से दी जा रही हैं।जिसका लाभ आम जनता को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है।

राज्य सरकार के स्तर पर प्रोजेक्ट के समीक्षा करने के दौरान कतिपय बार यह बिन्दु उत्पन्न हुआ है कि जो पटवारी बतौर रिर्सोस परसन अपने मूल पदास्थापन जगह की बजाए तहसील मुख्यालय/जिला मुख्यालय/एन.आई.सी. मुख्यालय पर कार्य कर रहे हैं , उन्हें कार्यरत स्थान का न तो मकान किराया भत्ता दिया जाता है और ना ही उन्हें हार्ड ड्यूटी एलाउंस एवं शहरी भत्ता दिया जाता है। कालान्तर में भी इस बाबत राज्य सरकार के स्तर से आप सभी को निर्देशित किया गया था कि इन रिर्सोस परसन को कार्यरत स्थान पर वे सभी वित्तीय लाभ दिये जावें जो उस स्थान पर कार्यरत अन्य कार्मिकों को मिलते हैं। अधिकांश रुप में उक्त निर्देशों की पालना करते हुये कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अभी भी कतिपय राजस्व कार्यालयों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है , जो संभवतः असमंजस की स्थिति के कारण संपादित नहीं हो पा रही है।

.....2

इस प्रकरण में राज्य सरकार के उच्च स्तर पर परीक्षणोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो पटवारी बतौर रिर्सोस परसन तहसील मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों एवं एन.आई.सी. मुख्यालय पर कार्यरत हैं तथा उनसे सम्बन्धित पद तहसील के कार्यक्षैत्र /पटवार सर्किलों में कियाशील हैं, उन पदों को तत्काल प्रभाव से इनके वर्तमान में कार्यरत (रिर्सोस परसन की जगह) स्थान पर स्थानान्तरित होना समझते हुये इन्हें उक्त स्थान का मकान किराया भत्ता, हार्ड ड्यूटी एलाउंस एवं शहरी भत्ता एलाउंस की राशि नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। अपेक्षित पदों के नई जगह स्थानान्तरित समझे जाने के बाद तहसील के कार्यक्षैत्र /पटवार सर्किलों में अपेक्षित पदों का समायोजन तहसील में कियाशील पटवारियों के पदों में से करते हुये पटवार सर्किलों का कार्य सम्पादित करवाया जावे । बतौर रिर्सोस परसन इन पटवारियों को देय उपरोक्त परिलाभों के साथ संवेतन आदि की राशि भी जिला मुख्यालय की एल.आर.शाखाओं/तहसील के स्तर से आहरित कर भुगतान करवाने की भी पुख्ता व्यवस्था की जावे। जिन रिसोर्स परसन को उपरोक्त परिलाभ दिये जा रहे हैं तथा अंकेक्षक द्वारा इन परिलाभों की रिकवरी निकाल दी गई है, उन रिकवरियों को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष /कार्यालयध्यक्ष अपने स्तर से राइट ऑफ करवाने की कार्यवाही भी संपादित करावें ।

उपरोक्त निर्देशों की तत्परता से पालना करावें ।

आज्ञा से

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि

1.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. जयपुर ।
2.उप निबन्धक (एल.आर.) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
3.समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ,राजस्थान ।

उप शासन सचिव